शिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत स्नातक शिक्षु प्रशिक्षुओं (इंजीनियरिंग) का नियोजन

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MOP&NG), भारत सरकार के अधीन भारत सरकार का उद्यम है। यह रिफाइनिंग, भंडारण, वितरण तथा विशाल विपणन नेटवर्क के क्षेत्र में कार्यरत है, जिसमें रिफाइनरियाँ, आंचलिक कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, टर्मिनल, पाइपलाइन नेटवर्क, विमानन सेवा केंद्र, एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र एवं इनलैंड रिले डिपो आदि सम्मिलित हैं, जो सम्पूर्ण भारत में फैले हुए हैं।

एचपीसीएल, विपणन प्रभाग (अखिल भारतीय कार्यस्थल) द्वारा शिक्षु अधिनियम, 1961 एवं तत्संबंधी नियमों के प्रावधानों के अनुसार भारत भर में स्थित कार्यस्थलों पर स्नातक शिक्षु प्रशिक्षुओं (ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी) – इंजीनियरिंग [सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/इंस्ट्रुमेंटेशन] को नियोजित करने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2026-27 हेतु स्नातक शिक्षुओं (इंजीनियरिंग) का नियोजन

महत्वपूर्ण तिथियाँ

एचपीसीएल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि: **15-07-2026**	एचपीसीएल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: **31-07-2026**

स्नातक शिक्षु (इंजीनियरिंग) का विवरण	आयु सीमा	अर्हता मानदंड	मासिक वृत्तिका (स्टाइपेंड)
सिविल	दिनांक 31-07-2026 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु 5 वर्ष, ओबीसी-एनसी हेतु 3 वर्ष तथा दिव्यांगजन (PwBD) हेतु 10 वर्ष की आयु में छूट।	[सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/इंस्ट्रुमेंटेशन] में इंजीनियरिंग स्नातक – समस्त सेमेस्टरों/वर्षों में यूआर/ओबीसी-एनसी अभ्यर्थियों हेतु कुल 60% अंक तथा अजा/अजजा/दिव्याङ्ग (VH/HH/OH/MD*) अभ्यर्थियों हेतु 50% अंक।	रु. 25000/- प्रति माह इंजीनियरिंग स्नातकों हेतु (रु. 20,500 एचपीसीएल द्वारा देय तथा रु. 4500 भारत सरकार द्वारा डीबीटी योजना के अंतर्गत सीधे शिक्षुओं को देय)।
मैकेनिकल			
इलेक्ट्रिकल			
इंस्ट्रुमेंटेशन			

**VH- दृष्टिबाधित, HH- श्रवणबाधित, OH- अस्थिबाधित, MD- बहु-दिव्यांगता (उपर्युक्त का संयोजन)।*

प्रशिक्षण स्लॉट का विवरण एवं स्नातक शिक्षुओं हेतु उपलब्ध सीटों की अनुमानित संख्या निम्नानुसार होगी। संबंधित राज्यों में आरक्षण नीति के प्रतिशत का अनुपालन किया जाएगा।

प्रशिक्षण स्लॉट

राज्य	प्रशिक्षण स्लॉट
आंध्र प्रदेश	15
असम	6
बिहार	14
चंडीगढ़	4
छत्तीसगढ़	8
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	1
दिल्ली	18
गोवा	6
गुजरात	32
हरियाणा	14
जम्मू और कश्मीर	5
झारखंड	5
कर्नाटक	14
केरल	9
मध्य प्रदेश	10
महाराष्ट्र	64
नागालैंड	2
ओडिशा	4
पंजाब	16

राज्य	प्रशिक्षण स्लॉट
राजस्थान	17
तमिलनाडु	20
तेलंगाना	19
उत्तर प्रदेश	37
उत्तराखंड	4
पश्चिम बंगाल	14
कुल	**358**

पात्रता संबंधी अपेक्षाएँ

- केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन करने हेतु पात्र हैं।

- केवल वे अभ्यर्थी जो राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (NATS 2.0) वेब पोर्टल पर पंजीकृत हैं तथा शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (BOAT) द्वारा अनुमोदित हैं, शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए विचारणीय होंगे।

- सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/इंस्ट्रुमेंटेशन शाखाओं के वे इंजीनियरिंग स्नातक, जिन्होंने दिनांक 01-09-2023 को या उसके पश्चात इंजीनियरिंग स्नातक की उपाधि पूर्ण की है, आवेदन हेतु पात्र हैं। जिन अभ्यर्थियों ने 01-09-2023 से पूर्व इंजीनियरिंग पूर्ण की है, वे शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु पात्र नहीं हैं।

- अनारक्षित/ओबीसी-एनसी श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अर्हक परीक्षा के समस्त वर्षों/सेमेस्टरों में कुल 60% अंक अनिवार्य हैं, जबकि अजा/अजजा/PwBD (VH/HH/OH/MD) श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु 50% अंक अनिवार्य हैं।

- प्रतिशत की गणना: विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त डिग्री प्रतिशत मान्य होगा अथवा जहाँ अर्हक डिग्री में CGPA/GPA या लेटर ग्रेड प्रदान किया गया है, वहाँ विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुसार समतुल्य प्रतिशत आवेदन पत्र में अंकित किया जाए। कृपया इस आशय का प्रमाणपत्र विश्वविद्यालय/संस्थान से प्राप्त करें, जो दस्तावेज़ सत्यापन के समय अपेक्षित होगा। जहाँ उपर्युक्त प्रतिशत/रूपांतरण उपलब्ध नहीं है, वहाँ अभ्यर्थी द्वारा समस्त सेमेस्टरों/वर्षों में प्राप्त कुल अंकों के योग को विभाजित कर प्रतिशत की गणना की जाएगी। इस प्रकार प्राप्त प्रतिशत के अपूर्णांश पर विचार नहीं किया जाएगा, अर्थात 49.99% को 50% से कम माना जाएगा।

- उपर्युक्त समस्त अर्हताएँ तकनीकी शिक्षा बोर्ड/यूजीसी/एआईसीटीई अथवा प्रचलित विधियों के अनुसार समकक्ष प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

- आयु सीमा: दिनांक 31-07-2026 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 25 वर्ष। अजा/अजजा हेतु 5 वर्ष, ओबीसी-एनसी हेतु 3 वर्ष तथा PwBD (VH/HH/OH/MD) अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष की अधिकतम आयु में छूट।

- पात्रता मानदंड, आयु एवं आरक्षण में अजा, अजजा, ओबीसी-एनसी तथा PwBD (बेंचमार्क दिव्यांगजन – 40% या अधिक की दिव्यांगता) हेतु छूट सरकारी दिशानिर्देशों/शिक्षु अधिनियम, 1961 के अनुसार होगी।

- **जिन अभ्यर्थियों को पूर्व में शिक्षु के रूप में नियोजित किया गया है अथवा जो अन्यत्र शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनका NATS पोर्टल पर शिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत किसी अन्य संगठन के साथ शिक्षुता अनुबंध विद्यमान है, वे आवेदन हेतु पात्र नहीं हैं। किसी अन्य संगठन के साथ विद्यमान शिक्षुता अनुबंध होने की स्थिति में आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है। किसी विद्यमान शिक्षुता अनुबंध का सत्यापन, अभ्यर्थी के आवंटित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात एचपीसीएल द्वारा किया जाएगा। यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी का किसी अन्य संगठन के साथ पहले से शिक्षुता अनुबंध विद्यमान है, तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा बिना किसी वृत्तिका (स्टाइपेंड) के भुगतान के शिक्षुता तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।**

- एक वर्ष या अधिक का कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र नहीं हैं।

- दिनांक 31-07-2026 के पश्चात एचपीसीएल पोर्टल पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

चयन पद्धति

- पात्रता मानदंड एवं संबंधित ट्रेड हेतु निर्धारित अर्हता तथा विज्ञापन में अधिसूचित प्रशिक्षण स्लॉट की संख्या के अनुसार, मेरिट प्रतिशत (अंकों) के आधार पर आवेदनों की जाँच (स्क्रीनिंग) की जाएगी।

- अपूर्ण अथवा अपात्र आवेदन बिना किसी सूचना के अस्वीकृत कर दिए जाएँगे।

- अधिसूचित/उपलब्ध प्रशिक्षण स्लॉट के सापेक्ष 1:5 के अनुपात में मेरिट क्रम में अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ों/प्रमाणपत्रों के सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को पंजीकृत ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया में उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता (TA/DA) देय नहीं होगा।

- **दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया हेतु उपस्थित हुए तथा पात्रता के अनुसार उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।**

- **NATS वेबसाइट पर त्रिपक्षीय शिक्षुता अनुबंध स्वीकार करने तथा निर्धारित प्रारूप में चिकित्सा प्रमाणपत्र एवं पुलिस सत्यापन प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी को मेरिट क्रम में नियोजित किया जाएगा।**

एचपीसीएल में शिक्षुता हेतु आवेदन की प्रक्रिया

- सर्वप्रथम शिक्षु आवेदन लिंक http://jobs.hpcl.co.in/Recruit_New/recruitlogin.jsp पर 'Sign up for New Registration' विकल्प का उपयोग करते हुए पंजीकरण करें।

- पंजीकरण के उपरांत अभ्यर्थियों को पंजीकरण हेतु प्रदत्त ईमेल आईडी पर एचपीसीएल अप्रेंटिस टीम की ओर से लॉगिन एवं पासवर्ड का विवरण प्राप्त होगा।

- पंजीकृत ईमेल आईडी पर प्राप्त लॉगिन क्रेडेंशियल्स (ईमेल आईडी एवं पासवर्ड) के माध्यम से एचपीसीएल शिक्षु आवेदन लिंक http://jobs.hpcl.co.in/Recruit_New/recruitlogin.jsp पर साइन इन करें।

- **कृपया ध्यान दें कि अभ्यर्थी केवल एक ही आवेदन भर सकते हैं। एक से अधिक आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएँगे।**
- अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आवेदन पत्र के प्रत्येक भाग में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

- विज्ञापन में उल्लिखित इंजीनियरिंग शाखाओं के अनुसार ड्रॉपडाउन से इंजीनियरिंग शाखा (Engineering Branch) का चयन करें।

- आवेदन पत्र में यथा उल्लिखित अपना व्यक्तिगत विवरण (Personal Details) भरें। * चिह्नित फ़ील्ड अनिवार्य हैं।

- व्यक्तिगत विवरण भरने के उपरांत 'Validate your details' पर क्लिक करें। त्रुटि की स्थिति में त्रुटि संदेश के अनुसार सही विवरण भरें।

- सत्यापन (वैलिडेशन) के उपरांत आवेदन पत्र के अगले भाग हेतु 'Save & Next' पर क्लिक करें।

- तत्पश्चात अभ्यर्थी अपना संपर्क विवरण (Contact Details) भरें। पत्राचार का पता, स्थायी पता तथा संपर्क नंबर सही-सही भरें।

- अभ्यर्थी ड्रॉपडाउन से प्रशिक्षण राज्य (State of Training) का चयन भी करें। अभ्यर्थी वरीयता के रूप में केवल एक ही राज्य का चयन कर सकते हैं।

- 'Validate your details' तथा 'Save & Next' पर क्लिक कर आवेदन पत्र के अगले भाग – शैक्षणिक विवरण (Qualification Details) – पर जाएँ।

- आवेदन पत्र के अंतिम भाग के रूप में अभ्यर्थी अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करें।
- अभ्यर्थी 'Preview' के अंतर्गत आवेदन पत्र में भरे गए विवरण की पुनः जाँच करें तथा किसी संशोधन की आवश्यकता होने पर संबंधित सेक्शन/Back पर क्लिक कर विवरण संपादित करें।

- अभ्यर्थी घोषणा (Declaration) को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

- आवेदन पत्र के अंतिम प्रस्तुतीकरण हेतु घोषणा के बॉक्स चेक करें तथा 'Final Submit' पर क्लिक करें।

- आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर एचपीसीएल आवेदन संख्या (HPCL Application Number) सहित पुष्टिकरण ईमेल प्राप्त होगा।

ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु

- शिक्षुता अवधि के सफल समापन पर शिक्षुओं को स्थायी/अस्थायी रोजगार प्रदान करने की एचपीसीएल की कोई प्रतिबद्धता/आश्वासन नहीं है।

- जो शिक्षु निगम में शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे, उन्हें भर्ती मानदंडों में छूट/अधिमान प्रदान किया जाएगा। यह छूट दो चरणों में प्रदान की जाएगी, अर्थात – (i) अभ्यर्थी (स्नातक शिक्षु प्रशिक्षु) की पात्रता की गणना करते समय आयु में उतनी अवधि की छूट, जितनी अवधि तक संबंधित आवेदक (स्नातक शिक्षु प्रशिक्षु) ने निगम के किसी प्रतिष्ठान में स्नातक शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त किया है (अधिकतम एक वर्ष); तथा (ii) कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) में ऐसे शिक्षु द्वारा प्राप्त अंकों पर अतिरिक्त 5% अंक प्रदान करना और चयन के अगले चरण हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग के प्रयोजन से सीबीटी परीक्षा में प्राप्त अंकों के साथ ऐसे अनुग्रह (ग्रेस) अंकों की गणना करना। यह स्पष्ट किया जाता है कि निगम में शिक्षुता प्रशिक्षण के केवल सफल समापन मात्र से, उपर्युक्त छूट के अतिरिक्त, भर्ती/चयन का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

- गलत/मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा ऐसी गलत/मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने के किसी भी परिणाम के लिए एचपीसीएल उत्तरदायी नहीं होगा। पात्रता मानदंडों के संबंध में कोई विसंगति, गलत सूचना प्रस्तुत करना अथवा किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना, नियोजन के पश्चात भी, पाए जाने पर उसका प्रशिक्षण बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकेगा।

- नियोजन प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी रूप में सिफारिश (कैनवसिंग) करने पर अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

- **शिक्षु को अभ्यर्थी द्वारा चयनित वरीयता वाले राज्य में प्रशिक्षण हेतु रखा जाएगा। एक से अधिक आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएँगे।**

- **आवश्यकता/कार्यस्थल पर उपलब्धता के अनुसार शिक्षु प्रशिक्षु को राज्य के भीतर कोई भी प्रशिक्षण कार्यस्थल आवंटित किया जा सकता है।**

सामान्य शर्तें

- शिक्षुओं का नियोजन शिक्षु अधिनियम, 1961/शिक्षु (संशोधन) अधिनियम, 1973 एवं तत्संबंधी नियमों द्वारा शासित होगा।

- इंजीनियरिंग स्नातकों हेतु शिक्षु प्रशिक्षु के रूप में नियोजन केवल एक वर्ष की अवधि हेतु होगा।

- स्नातक शिक्षु प्रशिक्षु (इंजीनियरिंग) के रूप में चयनित अभ्यर्थियों को रु. 25000/- मासिक वृत्तिका देय होगी (रु. 20,500 एचपीसीएल द्वारा देय तथा रु. 4500 भारत सरकार द्वारा डीबीटी योजना के अंतर्गत सीधे शिक्षुओं को देय)।

- उपर्युक्त निर्धारित वृत्तिका के अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थियों को आवास सहायता/अन्य कोई भत्ता प्रदान करने का एचपीसीएल का कोई दायित्व नहीं है।

- आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में एससी/एसटी/ओबीसी-एनसी तथा PwBD (VH/HH/OH/MD) प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है (प्रारूप हमारी वेबसाइट www.hpclcareers.com > Downloads > Downloads for Apprentices से डाउनलोड किए जा सकते है)।

- अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित करें कि उनके जाति/समुदाय प्रमाणपत्र में जाति/समुदाय का नाम एवं उसकी वर्तनी, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों में यथा उल्लिखित नाम एवं वर्तनी के अनुरूप हो (ओबीसी-एनसी श्रेणी हेतु केंद्रीय सूची में भारत सरकार द्वारा ओबीसी के रूप में मान्यता प्राप्त जातियों की सूची http://www.ncbc.nic.in पर, एसटी श्रेणी हेतु प्रत्येक राज्य की जातियों की सूची www.ncst.nic.in पर तथा एससी श्रेणी हेतु प्रत्येक राज्य की जातियों की सूची http://www.socialjustice.nic.in पर उपलब्ध है)। जाति के नाम में किसी भी भिन्नता वाला प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ओबीसी प्रमाणपत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी भारत सरकार द्वारा यथा परिभाषित क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है।

- अभ्यर्थी का ओबीसी दावा उस राज्य (या राज्य के भाग) के संबंध में निर्धारित किया जाएगा, जिससे उसके पिता मूलतः संबंधित हैं। अतः एक राज्य (या राज्य के भाग) से दूसरे राज्य में प्रवासित अभ्यर्थी को ऐसा ओबीसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए, जो उसके पिता के मूल राज्य के ओबीसी प्रमाणपत्र के आधार पर उसे जारी किया गया हो।

- 'क्रीमी लेयर' से संबंधित ओबीसी अभ्यर्थी, ओबीसी-एनसी अभ्यर्थियों को अनुमन्य रियायतों के हकदार नहीं हैं तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी अनारक्षित (यूआर) के रूप में अंकित करनी होगी।

- यदि एससी/एसटी/ओबीसी-एनसी/PwBD प्रमाणपत्र अंग्रेजी/हिंदी से भिन्न किसी अन्य भाषा में जारी किया गया है, तो अभ्यर्थियों को उसकी स्व-प्रमाणित अनूदित प्रति अंग्रेजी अथवा हिंदी में प्रस्तुत करनी होगी।

- **नोट: अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एचपीसीएल को भेजने की आवश्यकता 'नहीं' है। ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन पत्र में भरे गए विवरण अंतिम माने जाएँगे तथा व्यक्तिगत अथवा अन्य किसी विवरण के संबंध में बाद में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

- अभ्यर्थियों को समस्त सूचनाएँ ईमेल के माध्यम से भेजी जाएँगी तथा कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी। समस्त पत्राचार अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्रदत्त ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर के माध्यम से किया जाएगा।

- अपूर्ण/गलत विवरण वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन में प्रदत्त ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर कम से कम एक वर्ष तक वैध रहने चाहिए। अभ्यर्थी अपने नाम से निर्मित उचित ईमेल आईडी का ही उपयोग करें। छद्म/फर्जी ईमेल आईडी से किए गए आवेदनों पर विधि के अंतर्गत समुचित कार्रवाई की जाएगी।

- ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थिता का विवरण, अंकों का प्रतिशत एवं अन्य विवरण भरते समय वे भौतिक दस्तावेजों एवं शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के अनुरूप होने चाहिए। यदि शिक्षु नियोजन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अथवा नियोजन के पश्चात यह पाया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना भौतिक दस्तावेजों के अनुरूप नहीं है, तो अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- अवैध/गलत ईमेल आईडी अथवा संपर्क नंबर के कारण भेजे गए ईमेल/प्रवेश पत्र/अन्य किसी सूचना की हानि/अप्राप्ति के लिए एचपीसीएल उत्तरदायी नहीं होगा।

- ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म में दिए गए समस्त विवरण अंतिम माने जाएँगे तथा कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन पत्र में एक बार भरी गई श्रेणी (GEN/SC/ST/OBC-NC/PwBD-[VH/HH/OH/MD]) में परिवर्तन के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा तथा तदनुसार अनुमन्य रियायतें/छूट प्रदान नहीं की जाएँगी।

- आवेदनों की संख्या के आधार पर एचपीसीएल न्यूनतम पात्रता मानक/मानदंड बढ़ाने तथा चयन प्रक्रिया में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

- एचपीसीएल चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में नियोजित किए जाने वाले शिक्षुओं/चयनित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

- प्रबंधन बिना कोई कारण बताए दस्तावेज़ सत्यापन हेतु बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

- प्रबंधन न्यूनतम पात्रता मानक बढ़ाने तथा रिक्तियों की संख्या घटाने/बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्रबंधन बिना किसी पूर्व सूचना एवं बिना कोई कारण बताए शिक्षु नियोजन प्रक्रिया और/अथवा तदधीन चयन प्रक्रिया को निरस्त/प्रतिबंधित/संक्षिप्त/विस्तारित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

- **समस्त अभ्यर्थी NATS/एचपीसीएल पोर्टल पर जाकर चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की अद्यतन जानकारी रखें।**

संपर्क विवरण

- समस्त प्रश्न ईमेल के विषय (Subject) को 'GAT Engagement (2026-27) – Application No.' प्रारूप में रखते हुए apprentices@hpcl.in पर ही ईमेल किए जाएँ।

नोट: इस विज्ञापन के हिंदी एवं अंग्रेजी पाठ में किसी भिन्नता/विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।